

दिनांक :- 04-07-2020

कार्यक्रम का नाम :- मोरवाड़ी कॉलेज दरभंगा

लेखक का नाम :- डॉ. फारुख आज़म (आर्य समाज शिक्षक)

स्नातक :- द्वितीय स्तर इतिहास

विषय :- प्रतिका इतिहास

शकाई :- जी

पत्र :- चतुर्थ

अध्याय :- चीन तथा प्रथम विश्व युद्ध

पेरिस शांति-सम्मेलन के समग्र विधिक स्थिति

1919 ई. के पेरिस शांति सम्मेलन से सुदूर पूर्व

के बारे में जो भी निर्णय लिए गए उसकी पुष्टि

श्रीम 1919 ई. से 1945 ई. के बीच केंद्र की दायताएं

हैं। 1945 ई. में चीन का शांतिपूर्ण प्रवेश जर्मनी

को एक वर्ष के लिए पदवी पर किया गया था।

इस बीच उसे इस प्रदेश का हस्तांतरण किसी
अन्य शक्ति को नहीं करना था।

प्रथम विश्व युद्ध काल में जर्मनी को चीन स्थित
प्रदेश कियोवाचाऊ पर जापान का अधिकार ही
था। जापान कियोवाचाऊ का विधिक स्वामी नहीं
हो सकता था। क्योंकि जर्मनी को यह पट्टे पर
तो चीन को मिला था और उसे इसके हस्तांतरण
का अधिकार न था। वस्तुतः कियोवाचाऊ पर तो
चीन को संप्रभुता थी और वही उसका विधिक स्वामी
था।

1915 ई. की संधि के फलस्वरूप शान्तुंग की स्थिति
में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। शान्तुंग संधि द्वारा
चीन और जापान के बीच यह समझौता हुआ कि
यदि जर्मनी शान्तुंग को जापान को देता है तो जापान
उसे ऊपर शर्तों पर चीन को लौटा देगा।

प्रथम विश्व युद्ध में चीन की सहभागिता से
इसके संबंधों में कुछ विशिष्ट परिवर्तन आए।

प्रथम चीन और जर्मनी के बीच सम्पन्न हुए

सारी संधियों का अंत हो गया। अतः यदि

चीन ने 1915 में जर्मनी के विश्व युद्ध

की घोषणा की तो 1898 ई० में शान्त्तुंग प्रदेश

के संबंध में चीन और जापान के बीच सम्पन्न

संधि का अंत हो गया। द्वितीय युद्ध की

घोषणा के साथ चीन में सारी जर्मन संपत्ति

पर चीन का अधिकार हो गया। अब जर्मनी

की पट्टे पर फिर गए प्रदेश पर चीन की

संप्रभुता कायम हो गई।

पेरिस शांति सम्मेलन और सुद्धर पूर्व

जनवरी 1919 ई० में पेरिस में शांति सम्मेलन

शुरू हुआ। चीन के विभिन्न राजनीतिक दल अपने
देश के हिस्से की रक्षा के लिए एक विष्टमैंडन
गैपन के लिए राजी हुए। चीनी प्रतिनिधियाँ
ने सम्मेलन में शोंतुंग की माँग की तथा 1915 ई.
1918 ई. में शोंतुंग के संबंध में चीन और जापान
के बीच संपन्न समझौता को निरस्त करने का
अनुरोध किया। इसके लिए उन्होंने अमेक तर्क
किया। प्रथम चीन में वैसे ही युद्ध में प्रवेश किया
इसका पहले वाला उद्देश शोंतुंग पर जर्मन आधि-
कार समाप्त हो गया। द्वितीय 1915 ई. की संधि
चीन पर चोपी गई थी। गुरद काल में चीन
के स्वतंत्रिकारी से पान दे स्वी इस पर हस्तक्षर
करवाया गया था। तथा चीनी सेविधान के अनुसार
संधि की अनुमति भी नहीं की गई थी।

शांति सम्मेलन शुरू होने के पूर्व ही जापान अपनी अधिकारी, जिन्हें युद्ध काल में मित्रराष्ट्री ने पकड़ लिया था, की बनास रक्षण की योजना बना ने लगा। शांति में जापान के दावों के बारे में ऐसा की बहुत कुछ नहीं बतलाया गया। जापानी प्रतिनिधियों ने प्रजातीय समानता सिद्धांत पर भी बल दिया क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग और समर्थन के प्रति आशान्वित था। जापान के लिए यह चिंता का विषय था। उसके तर्कों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रथम, वह शांति प्रान्त और प्रशांत महासागर के उत्तर में अपनी अधिकारी की रक्षा चाहता था। उसे आशा थी कि शांति सम्मेलन में उसके इन अधिकारों की

रक्षा की प्वासुंगी कथीकि उसे युद्ध में धन-जन
का बड़ा नुकसान पड़ा था। साथ ही युद्ध काल में
ऑक्टमिस्त्रि राज्यों ने उसके अधिकारी की रक्षा
करने का वचन दिया था। उसने उसकी आधिकारि
क शीषणा शौति समीलन में की। उसने यह भी
कहा कि यदि किचानाचाकु उसे जमीनी से मिल
जाता है तो वह उसे चीन की लीला देगा। द्वितीय
उसने सभी राष्ट्री के समानता के कर्षी की स्वी
कार करने तथा उनके देशवासिनी के साथ न्याय
पूर्ण व्यवहार करनी की मांग की।

शब्दपति विवसन ने दूसरी मांग की आस्वीकार
कर दिया कगीकि इसका सौर्वध अष्टावास और
दूसरे निर्वदन रीथा। अरुण व्यापारिनी ने
अपनी प्रथम मांग की।

मनवाने पर कत दिया जो उसके लिए महत्व
पूर्ण था। उन्होंने एक मित्र के रूप में अपने
याचित्वों का निर्वह किया था। जर्मनी को सुदूर
पूर्व से भागा दिया था तथा प्रशांत महासागर
तथा यूरेशियन मार्ग की रक्षा की थी। इसमें
जापान की जन-धन की आपार क्षति उठानी
पड़ी थी। वे भी विजय का फल चरवर्ण के लिए
सुदूर आइए थे। यदि उन्हें फल चरवर्ण
का अवसर नहीं दिया जाता है तो वे राष्ट्र
संघ में शामिल न होंगे तथा अलग बोलग रह
कर अपना रास्ता खुद तैयार करेंगे।
इसली ने फ्यूम (Fiume) के प्रश्न पर सम्मेलन
से अपना नाता तोड़ लिया था। इसी तरह
जापान ने भी सम्मेलन से अलग होने की इमका
नी थी।